प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02360/2022-2023 दिनांक 29/08/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/LUC/08505/2022-2023 पत्रावली संख्या:I-134329 दिनांक:2002-2003

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि लखनऊ शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान, के0-1218, आशियाना कालोनी, लखनऊ, लखनऊ , 226012 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 253-2002-2003 दिनांक-18/05/2002 को दिनांक-18/05/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |
1100 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(DEEPAK KUMAR TIWARI)
52E90EC82B3AE75971F0A3EC99DBF0A39E43186B
Date: 29/08/2022 1:27:24 PM, Location: Lucknow

जारी करने का दिनांक-29/08/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

PRINCIPAL
New Public Inter College
LDA Colony Lucknow

Scanned with OKEN Scanner

5 RS

लखनऊ शिक्षा एवं प्रशिक्षण
सेवा संस्थान
लखनऊ
नियमावली

1343.2

PRINCIPAL
New Public Inter College
LDA Colony Lucknow

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसा. एवं चिट्स
लखनऊ
27.07.2002

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] ২৮।১।২০০২ [illegible]

[illegible]

[illegible]

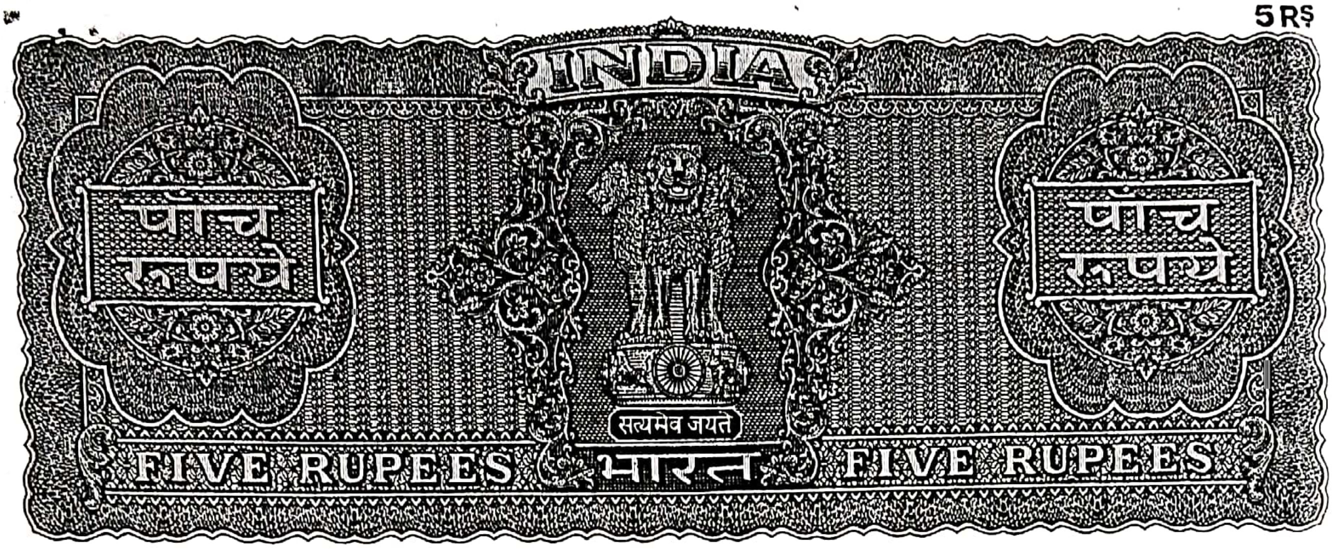

[illegible] लखनऊ [illegible] से प्रकाशित

सेवा संस्थान

जिला लखनऊ [illegible] 13.4.3.29

स्मृतिपत्र [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

जिला रजिस्ट्रार [illegible]

27.07.2002

PRINCIPAL
New Public Inter College
LDA Colony Lucknow

26-9-2012

Scanned with OKEN Scanner

९. वार्षिक बजट तैयार करना।
१०.संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
११.चल अचल सम्पत्ति की देख रेख करना।
१२.कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन करना।
१३.राजकीय अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना।

कोषाध्यक्ष : १. कोषाध्यक्ष को संस्था के हित में मात्र ५००/– रूपये खर्च करने का अधिकार होगा, जिसकी संस्तुति बाद में प्रबंध समिति एवं महामंत्री/प्रबन्धक से लेनी होगी।
२. समस्त आय व्यय का वर्षवार लेखा जोखा करके समस्त आलेखं महामंत्री/प्रबन्धक के पास प्रस्तुत करना।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया : साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

११. संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन महामंत्री/प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष इन दोनो में से किसी एक के हस्ताक्षर से होगा।

१२. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) : संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

१३. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उत्तरदायित्व : संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वं महामंत्री/प्रबन्धक पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर होगा।

१४. संस्था के अभिलेख : अ. सदस्यता रजिस्टर।
ब. कार्यवाही रजिस्टर।
स. स्टाक रजिस्टर।
द.कैश बुक, लेजर बुक।
य.एजेण्डा रजिस्टर

१५. विघटन : संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनाँक : 3/5/02

:: हस्ताक्षर ::
१. [signature]
२. [signature]
३. [signature]

PRINCIPAL
New Public Inter College
LDA Colony Lucknow

सत्य प्रतिलिपि
27.07.2002

लेखा संख्या 13.4.3.27

आवेदन का नाम ....

मूहि पत्र ....

विधायकी ....

आज दिनांक ....

को सन् 1860 ...... अधिनियम के

अन्तर्गत निबन्धन ...... गयी।

[illegible] कार्यालय

....

नियमावली

१. संस्था का नाम : **लखनऊ शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा संस्थान।**

२. संस्था का पता : के० १२१८ अशियाना कालोनी लखनऊ।

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।

४. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु ५००१/– रू. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के उद्‌देश्यों में आस्था रखतें होंगे या संस्था के विकास हेतु ५०१/– रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क चन्दा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

५. सदस्यता की समाप्ति :

१. मृत्यु हो जाने पर।
२. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
३. संस्था के विपरीत हानि कर कार्य करने पर।
४. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
५. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
६. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
७. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर।

६. संस्था के अंग :

अ. साधारण सभा
ब. प्रबन्धकारिणी समिति

७. साधारण सभा

गठन : साधारण सभा का गठन आजीवन और सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम १५ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना ६ दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से २/३ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि : साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ सदस्यों के बहुमत से तय किया जायेगा।

साधरण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

१. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
३. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
४. संस्था के नियमों एवं विनियमों में २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना।

8- प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक, महामंत्री/प्रबन्धक–एक, कोषाध्यक्ष–एक, एवं सदस्य–७ होंगे इस

PRINCIPAL
New Public Inter College
LDA Colony Lucknow

५. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद, व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है :–

क्रम.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
१.	श्रीमती लालपरी मिश्रा	के० १२१८ आशियाना लखनऊ	अध्यक्ष	अध्यापन
२.	श्री परशुराम पाण्डेय	ग्राम मैलानी पो० गानपुर सिद्धार्थ नगर	उपाध्यक्ष	कृषि
३.	श्री गोपाल जी मिश्र	के० १२१८ अशियाना लखनऊ	महामंत्री/ प्रबन्धक	अध्यापन
४.	श्री प्रेम प्रकाश मिश्र	एम०एम०डी०आई०/५८० एल०डी०ए० कानपुर रोड लखनऊ	कोषाध्यक्ष	व्यापार
५.	श्री रामेश्वर यादव	ग्राम सेहरी घाट पो० मि०बल बाजार सिद्धार्थ नगर	सदस्य	व्यापार
६.	श्रीमती पूनम मिश्रा	ग्रा व पो० उमरी कला संतकबीर नगर	सदस्य	गृहणी
७.	श्री राम मिलन मौर्या	ग्राम जिशुनपुरवा पो० पथरा बाजार सिद्धार्थ नगर	सदस्य	व्यापार
८.	श्री श्याम जी मिश्र	एम०एम०डी०आई०/५८० एल०डी०ए० कानपुर रोड लखनऊ	सदस्य	नौकरी
९.	श्री ब्रह्मजीत सिंह	७ ए० कृष्णा नगर लखनऊ	सदस्य	व्यापार
१०.	कु० कविता	ग्राम प्रतापपुर नगर पालिका बॉसी सिद्धार्थ नगर	सदस्य	अध्यापन
११.	श्री राधे श्याम	सेक्टर डी० साउथ सिटी लखनऊ	सदस्य	नौकरी

६. "हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति–पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है"।

दिनाँक :– 3/5/02

हस्ताक्षर :–

१. लालपरी मिश्रा
२. परशुराम पाण्डेय
३. [illegible]
४. [illegible]
५. [illegible]
६. Poonam
७. राम मिलन मौर्या
८. [illegible]
९. Brahmjeet Singh
१०. [illegible]
११. राधेश्याम

PRINCIPAL
New Public Inter College
LDA Colony Lucknow

[illegible] I-134329.

[illegible] 7

[illegible]

[illegible] ×

आज दिनांक 12-5-2002,

को सन् 1860 के अधिनियम [illegible]

[illegible] की गयी।

[illegible]

[illegible]